राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7(199) परि/नियम/मु./2018/पार्ट/9018 जयपुर, दिनांक : 30/7/19

कार्यालय आदेश संख्या 08/2019

राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख से अधिक अपरिवहन यान (non-transport vehicle) पंजीकृत किए जाते है। पंजीयन रिकॉर्ड के भविष्यगामी किसी भी संभावित जांच के दृष्टिगत समस्त पंजीयन पत्रावलियों को समुचित रखरखाव के साथ स्थायी रूप से रिकॉर्ड में रखा जाता है। इस कारण प्रतिवर्ष कार्यालय में अत्यधिक पंजीयन पत्रावलियों का रिकॉर्ड एकत्रित हो गया हैं तथा परिवहन कार्यालयों में स्थान की कमी महसूस होने लगी है।

विभाग द्वारा नीतिगत रूप से समस्त अपरिवहन यानों (non-transport vehicle) के विक्रेताओं (Dealers) द्वारा विक्रय किये गये यानो का पंजीयन संबंधित डीलर द्वारा ही संपादित किया जाना सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया है। इसकी पालना में अपरिवहन यानों (non-transport vehicle) के विक्रेताओं (Dealers) को पंजीयन प्राधिकारी के रूप में अधिकृत कर दिया गया है। इसी क्रम में मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 23/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा समस्त अपरिवहन यानों (non-transport vehicle) के विक्रेताओं (Dealers) को अपरिवहन यानों के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने के पश्चात् पंजीयन कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया है। समस्त अधीनस्थ परिवहन कार्यालयों में भी दस्तावेज स्कैन करने के लिये स्केनर्स उपलब्ध करवा दिये गये है। इन स्कैनर्स से अपरिवहन यानो के पंजीयन पत्रावली के दस्तावेजो को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने से दस्तावेजो का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध रहेगा।

इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड की विधिक स्वीकार्यता के संबंध में Indian Evidence Act, 1872 की धारा 65B निम्न प्रकार है:-

65B. Admissibility of electronic records.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

उपरोक्तानुसार Indian Evidence Act, 1872 की धारा 65B के तहत वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की वैधानिकता एवं विधिक स्वीकार्यता मूल पंजीयन पत्रावली के दस्तावेजो के समान होगी।

अतः समस्त परिवहन कार्यालयों (वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर पंजीयन नहीं करने वाले परिवहन कार्यालयो को छोडकर) एवं अपरिवहन यानों (non-transport vehicle) का विक्रय करने वाले अधिकृत पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नवीन अपरिवहन यान (non-transport vehicle) का पंजीयन करने से पूर्व पंजीयन पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की वाहन स्वामी द्वारा स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं वाहन स्वामी की ओर से भविष्य में आवश्यक होने पर संबंधित कार्यालय में पत्रावली को प्रस्तुत किये जाने की बंधक पत्र (undertaking) (परिशिष्ट–1 पर संलग्न प्रारूप में) की प्रति अपलोड कर मूल पंजीयन पत्रावली वाहन स्वामी को सुपुर्द कर दी जाएं। भविष्य में अपरिवहन यान की मूल पंजीयन पत्रावली संबंधित वाहन स्वामी के कब्जे में रहेगी। कार्यालय आदेश संख्या 34/2004 दिनांक 03.07.2004 के अनुसार पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्यरत व्यक्ति/डीलर के बिन्दु संख्या 6 में अंकित **''परिशिष्ट–1 में वर्णित मूल दस्तावेजों तथा जारी की गई पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति वाहन की पंजीयन पत्रावली में संलग्न कर संबंधित जिला परिवहन अधिकारी (पंजीयन) के यहां प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह की 10 तारीख तक कार्यालय में दिये जाने के दायित्व''** को विलोपित किया जाता है।

संलग्नः– परिशिष्ट–1 (बंधक पत्र का प्रारूप)

30/05

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प. 7(199) परि/नियम/मु./2018/पार्ट/9019-9024 जयपुर, दिनांक :30/5/19

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव महोदय।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपडेट एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि परिवहन कार्यालय के साथ–साथ समस्त अधिकृत पंजीयन प्राधिकारी (डीलर्स) के स्तर पर भी आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

बंधक–पत्र (Undertaking)

मैं..पुत्र श्री ....आयु.. ....वर्ष, मोबाईल /दूरभाष संख्या..निवासी... ....तहसील........................... ....जिला..................................(पता) शपथपूर्वक वचन देता हूँ कि:

1. यह है कि मैने/मेरी कम्पनी/फर्म/संस्था ने दिनांक..... ....को वाहन..का प्रकार. (दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया/कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट/ट्रक/ट्रेक्टर इत्यादि)................................डीलर. (नाम व पता)................................ ....से क्रय किया है, जिसका बिल (invoice) क्रमांक ....दिनांक................ ....है।

2. यह कि उक्त वाहन को पंजीयन क्रमांक ....आवंटित हुआ है जिसकी चैसिस संख्या ....एवं इंजन संख्या.. है।

3. यह कि मुझे वाहन के पंजीयन से संबंधित वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए गए समस्त दस्तावेजों (1) बिल (invoice) (2) फॉर्म 20 (3) फॉर्म 21 (4) फॉर्म 22, (5) फॉर्म 22ए/बी (6) अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र (7) बीमा (8) पार्किंग शपथ पत्र (9) पता प्रमाण पत्र एवं (10) पैन कार्ड/फॉर्म संख्या 60 (पंजीयन से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली) मय बंधक–पत्र (Undertaking) की मूल प्रति पंजीयन प्राधिकारी द्वारा मुझे लौटा दिए गए है। अब इन समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने एवं भविष्य में परिवहन विभाग/पुलिस/अन्य किसी विभाग को आवश्यक होने पर मूल पंजीयन पत्रावली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक:–

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

वाहन स्वामी का नाम व पता

....

....

....